

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

आईडी नम्बर: UPFS/2021/40342/BJN/BIJNOR/281/CFO

तारीख: 23-11-2021

गोपित किया जाता है कि मैसर्स M D INTERNATIONAL SCHOOL VILL RAWANA SHIKARPUR TEHSIL DHAMPUR DISTT BIJNOR (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता 0, NOORPUR SEOHARA TO RAWANA SHIKARPUR DAD, SEOHARA तहसील - DHAMPUR, प्लॉट एरिया 4866.17 sq.mt, कुल कवर्ड एरिया 1307.33 (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या 1 किममें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	वेसमेंट की संख्या	ऊँचाई
EDUCATIONAL BLOCK	2	0	7.50 mt.

भवन का अधिभाग मैसर्स M D INTERNATIONAL SCHOOL VILL RAWANA SHIKARPUR TEHSIL DHAMPUR DISTT BIJNOR द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय क ब्यूरो के आई0एन0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी द्वारा दिनांक 27-11-2021 भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री DEVENDRA SINGH के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों अनुसार अधिस्थापित पायी गयीं। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभाग श्रेणी Educational के अन्तर्गत वैधता तिथि 27-11-2021 से 26-11-2024 तक 3 वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मैसर्स M D INTERNATIONAL SCHOOL VILL RAWANA SHIKARPUR TEHSIL DHAMPUR DISTT BIJNOR अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगे। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयवधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके मैसर्स M D INTERNATIONAL SCHOOL VILL RAWANA SHIKARPUR TEHSIL DHAMPUR DISTT BIJNOR पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगे।

टिप्पणी : सम्पूर्ण स्कूल भवन में उपलब्ध अग्निशमन व्यवस्था हर समय एन0 बी0 सी0 - 2016 मानकों के अनुसार कार्यशील में रखनी अनिवार्य होगी तथा उक्त स्कूल भवन में किसी भी प्रकार का अतिरिक्त ढांचागत निर्माण करने से पूर्व अग्निशमन विभाग से प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होगा।

इ प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभाग को प्रमाणित नहीं करता है।"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)

(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By

(Ajay Kumar Sharma)

[F9B7EC75E059D47C2AAE04785947AF8B8CDD0F601]

27-11-2021

किये जाने का दिनांक : 27-11-2021
: BIJNOR